

[2024] 8 एस.सी.आर. 733: 2024 आईएनएससी 677

राज्य परियोजना निदेशक, उ.प्र. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड एवं अन्य

बनाम

सरोज मौर्य एवं अन्य।

(सिविल अपील संख्या 3465/2023)

21 अगस्त 2024

[न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता]

विचारार्थ मुद्दा

मामला उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश की स्थिरता/संधारणीयता से संबंधित है, जिसमें एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया और बिना कोई कारण बताए निष्कर्ष निकाले गए।

हेडनोट

निर्णय/आदेश – तर्कसंगत आदेश – की आवश्यकता – उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए, इस टिप्पणी के साथ निष्कर्ष निकाला कि वह कारण प्रस्तुत न करने के एकल न्यायाधीश के रुख और दृष्टिकोण से सहमत है – स्थिरता/संधारणीयता:

अभिनिर्धारित किया: तर्कसंगत निर्णय की अवधारणा कानून के बुनियादी नियम का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है और वास्तव में, प्रक्रियात्मक कानून की एक अनिवार्य आवश्यकता है – विचारों की स्पष्टता दृष्टि की स्पष्टता की ओर ले जाती है और उचित तर्क न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय का आधार है – कारण न्याय प्रशासन की वास्तविक जीवंत कड़ियां हैं – एक तर्कसंगत निर्णय के पीछे एक आधार, तर्क और उद्देश्य है – तर्कसंगत निर्णय मुख्य रूप से अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए लिखा जाता है; तथा निर्णय के कारणों को संबंधितों तक पहुँचाने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे कारणों पर अपीलीय/उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से विचार किया जा सके – इस प्रकार कारणों का अभाव मूल उद्देश्य को ही खराब कर देगा – तथ्यों पर, आक्षेपित निर्णय में किसी भी तर्क के अभाव में, उसे बरकरार नहीं रखा जा सकता – पक्षों को उपस्थित होने और नए सिरे से दलीलें रखने के लिए मामले को खण्डपीठ को वापस भेज दिया गया – आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया गया

उद्धोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

और अपास्त कर दिया गया। [पैरा 3-5]

उद्धृत केस कानून

सीसीटी बनाम शुक्ला एंड ब्रदर्स [2010] 4 एससीआर 627: (2010) 4 एससीसी 785 – पर अवलम्ब लिया गया।

मुख्य शब्दों की सूची

तर्कसंगत आदेश; न्यायाधीश – निर्मित कानून; तर्कसंगत निर्णय की अवधारणा; कानून का शासन; प्रक्रियात्मक कानून; विचारों की स्पष्टता; उचित एवं न्यायपूर्ण निर्णय; न्याय प्रशासन; कारणों का अभाव।

निम्न मामले से उत्पन्न

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3465/2023
एसपीएलए संख्या 222/2022 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय और आदेश दिनांक 18.04.2022 से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्तागण सुश्री गरिमा प्रसाद, सीनियर ए.ए.जी., कृष्णानंद पांडे, दिव्यांशु सहाय, यश कीर्ति कुमार भारती।
प्रत्यर्थियों की ओर से अधिवक्तागण संजय घोष, पी.एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री मयूरी रघुवंशी, व्योम रघुवंशी, सुश्री आकांक्षा राठौड़, मोहनीश निर्वाण, अशोक कुमार, अभिषेक प्रताप सिंह, साहिल बड़ाईक, यश तिवारी, शशांक राय, जैकब बेनी, पीयूष सिंह, उमेश दुबे, दुष्यन्त पाराशर , आर.के. सिंह, श्रीमती नीरज सिंह, टॉम जोसेफ, आर. कृष्णराज, कुमार गौरव, अर्जुन सिंह, रमनदीप सिंह।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

1. अपीलकर्ता-उत्तर प्रदेश राज्य ने एक अंतर-न्यायालयी अपील¹ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित 18 अप्रैल, 2022 के निर्णय और आदेश को चुनौती दी है, जो कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट

1 विशेष अपील संख्या 222/2022

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

याचिकाओं के एक समूह में पारित 21 दिसंबर, 2021 के सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ है। हमने आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया है और पाया है कि रिट याचिकाकर्ताओं और प्रत्यर्थियों के मामले को अभिलेख पर रखने और उसके बाद विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निष्कर्षों और स्वयं द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को छोड़कर, खंडपीठ ने अपने समक्ष उठाए गए मुद्दों पर अपना विचार व्यक्त नहीं किया है। निर्णय केवल इस टिप्पणी के साथ समाप्त होता है कि खण्डपीठ बिना कोई कारण बताए विद्वान एकल न्यायाधीश के रुख और दृष्टिकोण से सहमत है।

2. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी किए गए विभिन्न शासकीय आदेश² थे जिनमें 11 दिसंबर, 2020 का शासकीय आदेश भी शामिल था, जिसे खण्डपीठ के संज्ञान में लाया गया था, लेकिन उन पर कोई विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब तक पुल के नीचे काफी पानी बह चुका है और अपीलकर्ताओं द्वारा जारी किए गए अन्य शासकीय आदेश और परिपत्र हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए था और मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना, दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किए बिना, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए, आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया गया है। वह आगे कहती हैं कि इस बीच, इस न्यायालय द्वारा 02 सितंबर, 2022 को पारित आदेश के मद्देनजर जब नोटिस जारी किया गया था और यह निर्देश दिया गया था कि मामले के लंबित रहने के दौरान आक्षेपित आदेश के साथ-साथ अवमानना याचिका में पारित किसी भी निर्देश पर रोक रहेगी, जिस आदेश को बाद में 02 मई, 2023 को इस स्पष्टीकरण के साथ पूर्ण कर दिया गया कि अपीलकर्ताओं द्वारा की गई नियुक्तियां अपील में अंतिम आदेशों के अधीन होंगी, अपीलकर्ता-राज्य ने बाद में शिक्षकों की नियुक्तियों की हैं और ऐसा करना जारी है।

3. हमारा मानना है कि आक्षेपित निर्णय में किसी भी तर्क के अभाव में, इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इस संबंध में, हम इस न्यायालय द्वारा **सीसीटी बनाम शुक्ला एंड ब्रदर्स**³ में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों से लाभान्वित हुए हैं। फैसले के प्रासंगिक पैराग्राफ यहां नीचे दिए गए हैं:—

“23. हम वर्तमान याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए कानून के तर्कों की सत्यता या असत्यता पर टिप्पणी करने का साहस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उच्च न्यायालय से यह निश्चित रूप से अपेक्षित था कि वह विभाग द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को शुरू में ही खारिज करने के लिए कुछ कारण दर्ज करता। एक वादी को अपने दावे/प्रार्थना की अस्वीकृति के कारणों को जानने की वैध अपेक्षा होती है। केवल तभी कोई पक्ष उचित आधार पर आदेश को चुनौती देने की स्थिति में होगा। इसके अलावा, यह उच्चतर या अपीलीय अदालत के लाभ के लिए होगा। चूंकि दलीलें छिपी हुई और अस्पष्ट बातों को तर्क के प्रकाश में लाते हैं, इसलिए तर्कसंगत निर्णय, जिसमें मामले के कानून और तथ्यात्मक सार-तत्व पर चर्चा की जाती है, न्यायालयों द्वारा निष्कर्ष निकालने या न्यायिक विवेक का प्रयोग करने के लिए स्पष्टता और आधार प्रदान

2 संक्षेप में 'जी.ओ.'

3 [2010] 4 एससीआर 627: (2010) 4 एससीसी 785

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

करता है।

24. तर्क ही कानून का प्राण है। जब किसी कानून का कारण एक बार समाप्त हो जाता है, तो कानून स्वयं भी आम तौर पर समाप्त हो जाता है (*वार्टन का लॉ लेक्सिकन*)। कानून के किसी भी नियम में तर्क का यही महत्व है। कारण बताने से न्याय का उद्देश्य आगे बढ़ता है और साथ ही अनिश्चितता से भी बचा जा सकता है। वास्तव में यह पूर्व-निर्णय के पालन में मदद करता है। इसके विपरीत कारणों की अनुपस्थिति अनिवार्य रूप से अनिश्चितता, असंतोष का तत्व पेश करती है और उच्चतर/अपीलीय अदालतों के समक्ष उठाए गए कानून के सवालों को पूरी तरह से अलग आयाम देती है। हमारे विचार में, अदालत को किसी पक्ष के दावे/प्रार्थना को खारिज करने के लिए अपने स्वयं के आधार और कारण बताने चाहिए, चाहे वह बिल्कुल शुरुआती स्तर पर हो यानी स्वीकृति के चरण पर हो या नियमित सुनवाई के बाद हो, चाहे वे कितने भी संक्षिप्त क्यों न हों।

25. हम इस सिद्धांत को दोहराएंगे कि जब कारणों की घोषणा की जाती है और उन्हें समझा जा सकता है, तो जनता को आश्वासन मिल सकता है कि सुधार की प्रक्रिया चल रही है और कार्य कर रही है। यह कानून की आवश्यकता है कि निर्णयों की सुधार प्रक्रिया न केवल क्रियान्वित होती दिखाई दे बल्कि सुचारु ढंग से क्रियान्वित होती भी दिखे। किसी आदेश के कारण जनता के विश्वास को सुनिश्चित करेंगे और बढ़ाएंगे और हमारी न्याय वितरण प्रणाली के तहत न्याय के उपभोक्ता को उचित संतुष्टि प्रदान करेंगे। कानून के अनुसार यह कहना बहुत सही नहीं होगा कि अदालतों पर कारण दर्ज करने का एक योग्य कर्तव्य लगाया गया है।

26. हमारा प्रक्रियात्मक कानून और स्थापित प्रथा, वास्तव में, कारणों को दर्ज करने के लिए अदालतों पर अयोग्य दायित्व थोपती है। आयकर अधिनियम के तहत या संविधान के तहत शायद ही कोई वैधानिक प्रावधान है जिसमें निर्णयों में कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह अब अनिर्णीत विषय नहीं है और इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा स्पष्ट रूप से यह मानते हुए स्थापित किया गया है कि अदालतों और न्यायाधिकरणों को तर्कसंगत निर्णय/आदेश पारित करना आवश्यक है। वास्तव में, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 2 को आदेश 20 नियम 1 के साथ पढ़ने पर यह आवश्यक है कि अदालत को प्रत्येक मुद्दे पर निष्कर्षों को अभिलिखित करना चाहिए और ऐसे निष्कर्ष, जिनका स्पष्ट रूप से तर्क किया जाना चाहिए, निर्णय का हिस्सा बनेंगे, जो बदले में न्यायालय के आदेश लिखने के आधार होंगे।

27. सभी न्यायालयों में अपनाई गई प्रथा और न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर, तर्कसंगत निर्णय की अवधारणा कानून के बुनियादी नियम का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है और वास्तव में, प्रक्रियात्मक कानून की एक अनिवार्य आवश्यकता है। विचारों की स्पष्टता दृष्टि की स्पष्टता की ओर ले जाती है और उचित तर्क न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय का आधार है।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

अलेक्जेंडर मशीनरी (डुडले) लिमिटेड [1974 आईसीआर 120 (एनआईआरसी)] में इस संबंध में यह कहने के लिए उपयुक्त टिप्पणियाँ हैं कि "कारण बताने में विफलता न्याय से इनकार करने के समान है"। कारण न्याय प्रशासन की वास्तविक जीवंत कड़ियाँ हैं। हम सम्मानपूर्वक इस दृष्टिकोण में योगदान देंगे। किसी तर्कसंगत निर्णय के पीछे एक आधार, तर्क और उद्देश्य है। एक तर्कसंगत निर्णय मुख्य रूप से स्वयं के विचारों को स्पष्ट करने के लिए लिखा जाता है; तथा संबंधित को निर्णय के कारणों के बारे में सूचित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है कि ऐसे कारणों पर अपीलीय/उच्चतर न्यायालय द्वारा उचित रूप से विचार किया जा सकता है। इस प्रकार कारणों की अनुपस्थिति यहां ऊपर बताए गए उद्देश्य को ही विफल कर देगी।"

4. पक्षों को उपस्थित होने और नए सिरे से दलीलें रखने के लिए मामले को खण्डपीठ को वापस भेज दिया गया है। पक्षों को मामले में बाद के घटनाक्रम को अभिलेख पर रखने की स्वतंत्रता दी गई है ताकि खण्डपीठ को मामले में बड़े परिप्रेक्ष्य से अवगत कराया जा सके और मामले में एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा सके। दोनों पक्षों को कानून के साथ-साथ तथ्यों पर भी नए सिरे से तर्क प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सामान्य निर्णय के आलोक में खंडपीठ के समक्ष उठाए गए मुद्दों के अलावा, यदि कोई हो, तो बाद के घटनाक्रमों का भी उल्लेख किया जाएगा।

5. तदनुसार, आक्षेपित निर्णय को रद्द और अपास्त किया जाता है और अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय में दायर अपील को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया जाता है। पक्षों को 20 सितंबर, 2024 को रोस्टर बेंच के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक कि खण्डपीठ द्वारा अपील का निस्तारण नहीं कर दिया जाता।

6. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्यर्थियों और/या हस्तक्षेपकर्ताओं को इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों में संशोधन/हटाने की मांग करने की स्वतंत्रता दी गई है। यदि ऐसा कोई आवेदन दिया जाता है, तो उस पर विचार किया जाएगा और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित किए जाएंगे।

7. उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि जो अपील बहाल की गई है, उस पर शीघ्र सुनवाई करते हुए विचारण करे। विभिन्न निजी पक्षकारों द्वारा दायर पक्षकार बनाने का आवेदन/हस्तक्षेप के आवेदनों के संबंध में, विद्वान एएजी का कहना है कि राज्य हस्तक्षेपकर्ताओं/आवेदकों को पक्षकार बनाने के लिए खण्डपीठ के समक्ष जाने का प्रस्ताव करता है ताकि मामले में एक व्यापक दृष्टिकोण लिया जा सके। खण्डपीठ के समक्ष कार्यवाही में भाग लेने के लिए पक्षकारों/हस्तक्षेपकर्ताओं को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

8. अपील का निस्तारण लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हो, के साथ किया जाता है।

मामले का परिणाम: अपील निस्तारित।

हेडनोट तैयारकर्ता: निधी जैन

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"